(133)

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

कमांकः निकृवि / नियमन / एनसीडीईएक्स / 08 / 42849-987 दिनांकः 25-1-10

क्षेत्रीय उप / सहायक निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
समस्त

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
समस्त.

विषयः प्राईवेट सब ई–मार्केट प्रणाली के तहत कृषि जिन्सों के विपणन के संबंध में।

राजस्थान कृषि उपज विपणी नियम, 1963 में राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.4(4)एग्री / ग्रुप–2 / 2006 दिनांक 13.8.09 के द्वारा नया नियम 56–बी जोड़ा जाकर प्राईवेट सब ई'मार्केट का प्रावधान किया जा चुका है। राज्य सरकार की उक्तांकित अधिसूचना के कम में प्राईवेट सब ई मार्केट प्रणाली के तहत कृषि जिन्सों के विपणन हेतु विभिन्न कम्पनियों / संस्थाओं यथा एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज एवं नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मुम्बई द्वारा निदेशालय से अनुज्ञापत्र प्राप्त कर व्यापार प्रारम्भ करना प्रकियाधीन है। प्राईवेट सब ई–मार्केट के माध्यम से कृषि विपणन के पीछे राज्य सरकार का ध्येय राज्य के कृषकों को उनकी कृषि उपज का बेहतर एवं अधिकतम मूल्य दिलवाना है। अतः कम्पनियों द्वारा प्राईवेट सब–ई–मार्केट स्थापित कर व्यापार करने पर कृषकों के हितों एवं सुविधाओं का ध्यान रखते हुए व्यापार प्रारम्भ करने से पूर्व ही निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंः–

1. कम्पनी के विपणन स्थल पर विपणन के दौरान कृषकों के रुकने, आराम करने, छाया, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था हो।
2. कृषि जिन्सों की ग्रेडिंग, गुणवत्ता जांच एवं माप तौल की सम्पूर्ण व्यवस्था हो, जिससे काश्तकार पूर्ण संतुष्ट हो।
3. वेयर हाउसिंग की पर्याप्त व्यवस्था हो।
4. कम्पनियों को निर्देशित किया जाये कि विद्यमान कृषि उपज मंडी परिसर में (कृषि उपज मंडी व स्थानीय एजेन्ट्स से समन्वय के द्वारा) भी उनका एक काउन्टर हो, जिससे कृषक के पास प्राईवेट सब–ई–मार्केट अथवा मंडी समिति दोनों में से सुविधानुसार जिन्स विकय का विकल्प उपलब्ध रहे।
5. कृषकों को उनकी जिन्स के विकय पर भुगतान के संबंध में एक्ट के प्रावधान 15डी की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जाये।

%c निदेशक
कृषि विपणन
दिनांकः

कमांकः निकृवि / नियमन / एनसीडीईएक्स / 08 /
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. एनसीडीईएक्स स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड, मुम्बई।
2. नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड मुम्बई।

%c निदेशक
कृषि विपणन